सत्यमेव जयते

असंशोधित

बिहार विधान–सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

27 फरवरी, 2023

सप्तदश विधान सभा — सोमवार, तिथि 27 फरवरी, 2023 ई0

अष्टम सत्र — 08 फाल्गुन, 1944 (शक)

(कार्यवाही प्रारंभ होने का समय- 11.00 बजे पूर्वाह्न)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष: सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है ।

माननीय सदस्यगण, अब राष्ट्रगान होगा, कृपया अपने-अपने स्थान पर खड़े हो जायं ।

(राष्ट्रगान)

प्रारंभिक संबोधन

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, सप्तदश बिहार विधान सभा के अष्टम सत्र के शुभारंभ पर मैं आप सभी माननीय सदस्यों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं । वर्तमान सत्र के दौरान कुल बाईस बैठकें निर्धारित हैं जिसमें महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर विमर्श, वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक के व्यवस्थापन के अलावा अन्य वित्तीय कार्य, राजकीय विधेयक और गैर सरकारी संकल्प लिये जाएंगे ।

माननीय सदस्यगण, 17वीं बिहार विधान सभा का लगभग आधा सफर हमलोग तय कर चुके हैं, शेष बची अवधि में हम सब एक ही उद्देश्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि इस जगह से राज्य की सभी जनता का हित साधा जाय ।

यह बिहार विधान सभा हमारे समाज के सभी वर्गों एवं तबके के लोगों के हितों के लिए काम करने का मंच है । इस सत्र में कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी । परंतु यह बजट सत्र है इसलिए हमलोग सबसे अधिक बजट की बारीकियों पर विमर्श करेंगे और आने वाले वर्ष के लिए जो नीति हम बना रहे हैं उसकी समीक्षा कर उस पर अपना मत प्रदान करने का कार्य करेंगे । हमें इस सत्र में समय की मूल्यवान भूमिका को ध्यान में रखते हुए अपनी जिम्मेदारियों को निभाने का प्रयास करना चाहिए ताकि हम अपने दायित्वों का बेहतर ढंग से निर्वहन कर सकें ।

माननीय सदस्यगण, मेरा आप सबों से आग्रह है कि सत्र के दौरान लोक महत्व के विषयों एवं प्रश्नों पर सार्थक चर्चा करें । लोकतंत्र में विचार-विमर्श से ही फलाफल निकलता है । शोरगुल से अपनी बात को मनवाने का प्रयास करना या संख्या

बल से शक्ति दबाव दिखाना दोनों लोकतंत्र की आत्मा को आहत करती है । इसलिए सदन में स्वस्थ वातावरण बनाये रखने का प्रयास करें । मुझे उम्मीद है कि इस सत्र में हम शांतिपूर्ण ढंग से एक-दूसरे के साथ सहयोग कर सार्थक हल ढूंढ़ने का प्रयास करेंगे । आप सबों से अनुरोध है कि इस सत्र में अधिक से अधिक अपनी उपस्थिति बनाये रखें ।

मुझे आशा एवं पूर्ण विश्वास है कि इस सत्र के सफल संचालन में आप सभी माननीय सदस्यों का सकारात्मक सहयोग निरंतर प्राप्त होगा ।

राज्यपाल से प्राप्त संदेश

माननीय सदस्यगण, बिहार के राज्यपाल महोदय से निम्न संदेश प्राप्त हुआ है :-

भारत के संविधान के अनुच्छेद 176 के खण्ड (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, फागू चौहान, बिहार का राज्यपाल, एतद् द्वारा एक साथ समवेत बिहार विधान मंडल के दोनों सदनों को दिनांक 27 फरवरी, 2023 को 11:30 बजे पूर्वाह्न में संबोधित करना चाहता हूं और बिहार विधान मंडल के विस्तारित भवन के सेंट्रल हॉल, पटना में सदस्यों की उपस्थिति चाहता हूं ।

फागू चौहान,

पटना, राज्यपाल, बिहार ।

दिनांक- 30.01.2023

माननीय सदस्यगण, आपने बिहार के राज्यपाल महोदय का संदेश सुना । यह संदेश बिहार के तत्कालीन राज्यपाल श्री फागू चौहान के द्वारा भेजा गया था । अभी वर्तमान में बिहार के राज्यपाल श्री राजेन्द्र विश्वनाथ आर्लेकर हैं । अब से कुछ देर बाद यानी 11:30 बजे दोनों सदनों के सदस्यों के सह-समवेत उपस्थिति में महामहिम राज्यपाल महोदय का अभिभाषण विस्तारित भवन के सेंट्रल हॉल में होगा । महामहिम राज्यपाल महोदय का स्वागत करने और उन्हें सेंट्रल हॉल तक लाने के लिए मैं विस्तारित भवन के मुख्य प्रवेश द्वार पर जाऊंगा । माननीय मुख्यमंत्री और माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग भी इस हेतु निर्धारित स्थल पर आएंगे । इस बीच आप सभी माननीय सदस्य चल कर सेंट्रल हॉल में अपना-अपना स्थान ग्रहण करेंगे ।

महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की समाप्ति के पश्चात् पुनः इस सभा वेश्म में आज के निर्धारित शेष कार्य होंगे ।

अतः आप सभी माननीय सदस्यगण अभिभाषण समाप्त होने के तत्काल बाद सेंट्रल हॉल से आकर इस सदन में अपना-अपना स्थान पुनः ग्रहण कर लेंगे । अब आगे की कार्यवाही सेंट्रल हॉल में होगी ।

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय महामहिम राज्यपाल महोदय को लाने गये)

(इस अवसर पर सेंट्रल हॉल में महामहिम राज्यपाल महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय एवं माननीय सभापति महोदय का आगमन)

(राष्ट्रधुन)

सभा सचिवः महामहिम राज्यपाल महोदय, बिहार विधान मंडल के दोनों सदनों के माननीय सदस्यगण यहां एकत्रित हैं । अतएव आपसे अनुरोध है कि अभिभाषण देने की कृपा की जाय ।

(महामहिम राज्यपाल महोदय का अभिभाषण)

सत्यमेव जयते

भारत के संविधान के अनुच्छेद 176 (1) के अधीन

बिहार विधान-मंडल के दोनों सदनों के एक साथ समवेत

अधिवेशन में

बिहार के महामहिम राज्यपाल

श्री राजेन्द्र विश्वनाथ आर्लेकर

का

अभिभाषण

27 फरवरी, 2023

बिहार विधान मंडल के माननीय सदस्यगण

मैं नव वर्ष के प्रथम सत्र के अवसर पर बिहार विधान मंडल के दोनों सदनों के एक साथ समवेत अधिवेशन में आप सभी को शुभकामनाएँ देता हूँ तथा राज्य की खुशहाली एवं बहुआयामी विकास की कामना करता हूँ। इस सत्र में वित्तीय, विधायी एवं अन्य महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न होने हैं। बिहार विधान मंडल के सभी सदस्यों से बिहार के विकास के लिए रचनात्मक भूमिका अदा करने की अपेक्षा करता हूँ। आपके बहुमूल्य सुझाव एवं विमर्श से बिहार की प्रगति को बल मिलेगा।

राज्य सरकार ने हमेशा से सुशासन एवं न्याय के साथ विकास पर जोर दिया है। सरकार द्वारा अपराध नियंत्रण एवं विधि–व्यवस्था संधारण के लिए सभी आयामों पर योजनाबद्ध तरीके से काम किया जा रहा है। जन–कल्याणकारी आपातकालीन सेवा डायल 112 का शुभारंभ 6 जुलाई, 2022 को किया गया। इस व्यवस्था के अन्तर्गत किसी भी प्रकार की आपातकालीन स्थिति जैसे–अपराध की घटना, आग लगने की घटना, वाहन दुर्घटना की स्थिति में या महिला, बच्चों एवं वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा से संबंधित स्थिति में बिहार के किसी भी कोने से कोई भी पीड़ित व्यक्ति 112 नंबर पर निःशुल्क कॉल कर सकता है। सभी कॉल पटना स्थित कमाण्ड एण्ड कंट्रोल सेंटर में प्राप्त होंगे और आवश्यकतानुसार पीड़ित व्यक्ति को सहायता उपलब्ध कराने के लिए 15–20 मिनट के अंदर इमरजेंसी रेस्पॉन्स वाहन घटनास्थल पर पहुँच जाएंगे। इस हेतु अब तक पुलिस बल के साथ 400 डेडीकेटेड वाहन तैनात किये गये हैं।

अपराध नियंत्रण को दृष्टिगत रखते हुए बिहार पुलिस तंत्र के सुदृढ़ीकरण के लिए व्यापक व्यवस्था की जा रही है तथा इसके लिए बढ़ती जनसंख्या के अनुपात में आवश्यकता आधारित सीधी नियुक्ति के 75 हजार 543 अतिरिक्त पदों का सृजन किया गया है। राज्य सरकार द्वारा गांधी मैदान, पटना में एक बृहत् समारोह का आयोजन कर 10 हजार 459 नव–नियुक्त पुलिस कर्मियों को एक साथ नियुक्ति पत्र वितरित किया गया है। इसके अतिरिक्त बिहार पुलिस सेवा संवर्ग के अंतर्गत पुलिस उपाधीक्षक के 91 पदों पर भी वर्ष 2022 में नियुक्ति कर ली गई है एवं पुलिस उपाधीक्षक तथा उससे वरीय स्तर के कुल 181 नये पदों का सृजन भी किया गया है।

राज्य के सभी अधिसूचित पुलिस थाना एवं ओ0पी0 एवं अन्य पुलिस भवनों के साथ–साथ पुलिस लाईन के लिए भवन निर्माण कार्य को राज्य सरकार द्वारा प्राथमिकता की सूची में शामिल करते हुए सघन अभियान के तहत भूमि की प्राप्ति एवं भवन निर्माण की कार्रवाई प्रारंभ की गई। राज्य के कुल 1 हजार 263 अधिसूचित थानों एवं ओ0पी0 में से 471 भवनहीन थाना थे, जिसमें से अब तक 421 थानों के लिए भूमि उपलब्ध कराते हुए भवन निर्माण हेतु प्रशासनिक आदेश निर्गत किये गये हैं शेष 50 भवनहीन थानों एवं ओ0पी0 के लिए भूमि चिन्हित करते हुए भवन निर्माण हेतु प्रशासनिक स्वीकृति निर्गत करने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। राज्य के 44 पुलिस लाईन में से 33 पुलिस लाईन के लिए भवन उपलब्ध है। शेष सभी 11 पुलिस लाईन के लिए भूमि चिन्हित करते हुए 8 पुलिस

लाईन के भवन निर्माण का आदेश निर्गत किया जा चुका है एवं 3 पुलिस लाईन के भवन निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति का प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है। इन कार्यों के लिए वित्तीय वर्ष 2022–23 में राज्य योजना मद से कुल मिलाकर 1 हजार 875 करोड़ रुपये का उद्व्यय स्वीकृत किया गया। इन भवनों के निर्माण की जिम्मेदारी बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम की है।

पुलिस अनुसंधान को तकनीकी रूप से अधिक सक्षम बनाने हेतु राज्य सरकार ने सभी 12 प्रक्षेत्रों में विधि विज्ञान प्रयोगशाला स्थापित करने का निर्णय लिया है। वर्तमान में पटना, मुजफ्फरपुर एवं भागलपुर में विधि विज्ञान प्रयोगशाला कार्यरत हैं। इसलिए बचे हुए 9 पुलिस प्रक्षेत्रों में क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला के लिए भवन निर्माण हेतु 86 करोड़ 51 लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई हैं। पुलिस की विभिन्न शाखाओं यथा– अपराध अनुसंधान विभाग, विशेष शाखा, विशेष अभियान दल, आर्थिक अपराध इकाई एवं मद्य–निषेध इकाइयों के बीच बेहतर समन्वय के उद्देश्य से संयुक्त भवन बनाने का भी निर्णय लिया गया है। इनके निर्माण से सभी 12 पुलिस प्रक्षेत्रों में क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला एवं संयुक्त भवन उपलब्ध हो जाएंगे।

सुरक्षा के दृष्टिकोण से लगभग 74 करोड़ रुपये की लागत से राज्य के सभी थानों में सी0सी0टी0वी0 कैमरे लगाये गये है। इसके अतिरिक्त राज्य के 38 जिला स्तरीय एवं 40 अनुमंडल स्तरीय न्यायालयों में लगभग 65 करोड़ रुपये की लागत से सी0सी0टी0वी0 कैमरा अधिष्ठापित करने की स्वीकृति भी प्रदान की गई है।

सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेन्स नीति पर काम कर रही है। इसके लिए कई मोर्चों पर एक साथ काम किया जा रहा है। लोक निधि के दुरूपयोग को रोकने एवं लोक निर्माण में गुणवत्ता सुनिश्चित करने की दिशा में कार्रवाई की जा रही है। वर्ष 2022 में निगरानी विभाग के अधीनस्थ संस्थानों यथा–निगरानी अन्वेषण ब्यूरो एवं विशेष निगरानी इकाई द्वारा कुल 85 मामले दर्ज किये गये हैं, जिसमें ट्रैप के माध्यम से रंगे हाथ पकड़ने के कुल–52 मामले, प्रत्यानुपातिक धनार्जन के 29 मामले, पद के दुरूपयोग से संबंधित 3 मामले एवं 1 अन्य मामले दर्ज किये गये हैं। साथ ही साथ अनुसंधानरत 86 मामलों में आरोप पत्र विभिन्न निगरानी न्यायालयों में समर्पित किया गया है। भ्रष्टाचार पर नियंत्रण हेतु विभागीय एवं जिला स्तरीय निगरानी कोषांगों का गठन किया गया है।

शराबबंदी से जुड़े कारोबारियों एवं अवैध शराब बनाने वालों के विरूद्ध अभियान चलाकर कार्रवाई की जा रही है। वर्ष 2022 में राज्य के बाहर से 2 हजार 611 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए, जिसमें 115 शराब के बड़े व्यापारी भी शामिल हैं। साथ ही साथ इस धंधे से जुड़े निर्धन व्यक्तियों को शराब के धंधे को छोड़ने के लिए प्रेरित किया जा रहा है एवं उन्हें सतत् जीविकोपार्जन योजना के माध्यम से वैकल्पिक रोजगार के साधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

विगत तीन वर्षों से भारत सहित पूरा विश्व कोरोना महामारी से प्रभावित रहा है। इस संकट की घड़ी में राज्य सरकार लोगों के साथ रही और उन्हें हर संभव सहायता पहुँचायी गयी। अस्पतालों में बेड, एम्बुलेन्स, उपकरणों, दवाईयों एवं ऑक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्था की गई। वर्तमान में राज्य में कोरोना का मात्र एक सक्रिय केस है। बिहार में

कोविड की जाँच लगातार जारी है। बिहार में दस लाख जनसंख्या पर 8 लाख 41 हजार 724 जाँच की गयी है जबकि राष्ट्रीय औसत 6 लाख 65 हजार 283 ही है। इन सबका ही परिणाम है कि कोरोना का प्रभावी नियंत्रण हो सका है। राज्य में लगातार टीकाकरण किया जा रहा है, अब तक प्रथम, द्वितीय एवं प्रिकॉशन डोज मिलाकर लगभग 15 करोड़ 72 लाख टीके दिये जा चुके हैं। बिहार अकेला राज्य है जहाँ कोरोना मृतक के आश्रितों को शुरू से ही 4 लाख रूपये अनुदान तथा केन्द्र सरकार के निर्णय के उपरान्त 50 हजार रूपये की अतिरिक्त मदद भी दी जा रही है। अब तक कुल 13 हजार 106 मृतकों के आश्रितों को भुगतान हो चुका है।

सरकार द्वारा पिछले कार्यकाल में बिहार के विकास के लिए सात निश्चय के तहत कार्यक्रम लागू किये गये। इसके तहत हर घर तक बिजली पहुँचा दी गई है। हर घर तक नल का जल एवं हर घर तक पक्की गली–नालियों के काम ज्यादातर पूरा हो चुके हैं। कुछ क्षेत्रों में जो भी काम बचे हैं उन पर तेजी से काम हो रहा है और संबंधित विभाग इस पर निगरानी रखे हुए हैं।

7 निश्चय के तहत बिहार में युवाओं के लिए संचालित उच्च शिक्षा के लिए बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, युवाओं को रोजगार ढूंढने में मदद करने हेतु स्वयं सहायता भत्ता योजना, युवाओं को कम्प्यूटर, संवाद कौशल एवं व्यवहार कौशल का प्रशिक्षण देने हेतु कुशल युवा जैसे कार्यक्रमों को पूर्ववत चलाया जा रहा है। साथ ही पूर्व से निर्मित योजनाओं यथा– हर घर नल का जल, हर घर तक पक्की गली–नालियां एवं हर घर शौचालय आदि की योजनाओं का मेंटेनेंस किया जा रहा है।

"न्याय के साथ विकास" के सिद्धांत के प्रति अपनी प्रतिबद्धता कायम रखते हुये सात निश्चय–2 कार्यक्रम को पूरे राज्य में लागू किया जा रहा है।

राज्य के प्रत्येक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान एवं पॉलिटेकनिक संस्थान में गुणवत्ता बढ़ाने हेतु सेन्टर ऑफ एक्सेलेन्स बनाने के लिए 60 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान एवं 44 राजकीय पॉलिटेकनिक संस्थानों का चयन किया गया है। इन संस्थानों में नए एवं उभरते हुए तकनीकी क्षेत्र के पाठ्यक्रमों यथा–ड्रोन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल वेहिकल, आर्टिफिसियल इंटेलिजेंस, थ्री डी प्रिंटिंग आदि का चयन कर प्रशिक्षण आरंभ कर दिया गया है।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के युवाओं में उद्यमिता को प्रोत्साहित करने हेतु मुख्य मंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना पूर्व से लागू है। बाद में यह योजना अति पिछड़ा वर्ग के युवाओं के लिए भी विस्तारित कर दी गई। सात निश्चय–2 के तहत सभी वर्गों की महिलाओं के लिए इस योजना का लाभ दिया जा रहा है, जिसके तहत 10 लाख रुपये तक की सहायता, जिसमें 5 लाख रूपये का अनुदान एवं 5 लाख रूपये तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जा रहा है। सात निश्चय–2 के तहत अन्य वर्गों के युवाओं के लिए भी उद्यमी योजना शुरू की गयी है जिसमें 5 लाख का अनुदान एवं 5 लाख का ऋण मात्र 1 प्रतिशत ब्याज पर दिया जा रहा है। अब सभी वर्गों के युवक–युवतियाँ को इन उद्यमी योजनाओं का लाभ मिल रहा है।

हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुँचाने की दिशा में अधिकांश गांवों एवं टोलों में बैठक कर समेकित रूप से कुल 29 हजार 952 योजनाओं का चयन किया गया है, जिसकी अनुमानित लागत 6 हजार 504 करोड़ रुपये है। सभी गाँवों में सोलर स्ट्रीट लाईट के अधिष्ठापन हेतु अब तक कुल 1 लाख 9 हजार 105 ग्रामीण वार्डों में सर्वेक्षण पूर्ण कर 14 लाख 24 हजार 577 पोल चिह्नित किये गये हैं, जिनपर तेजी से सोलर स्ट्रीट लाईट लगायी जा रही हैं। राज्य की सभी पंचायतों में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन योजना क्रियान्वयन चरणवार किया जाएगा। प्रथम चरण में 2022–23 तक 2 हजार 235 पंचायतों के 30 हजार 933 वार्डों में कार्य प्रारंभ किया गया है।

लोगों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं की बेहतर उपलब्धता प्रदान किये जाने के क्रम में टेलीमेडिसिन स्टूडियो (ई–संजीवनी) प्रारंभ किया गया है। राज्य के 8 हजार 517 स्वास्थ्य उपकेन्द्रों से टेलीमेडिसिन की सेवा प्रदान की जा रही है जिनके द्वारा अब तक 25 लाख से अधिक लोगों को परामर्श दिया गया है। बाल हृदय योजना अंतर्गत कुल 1 हजार 656 बाल हृदय रोगियों की जाँच की गयी है, जिनमें से हृदय रोग से ग्रसित 835 बच्चों में से 562 बच्चों का अहमदाबाद के सत्य साई अस्पताल में सफलतापूर्वक उपचार किया गया है।

राज्य में सड़कों तथा पुल–पुलियों का जाल बिछाया गया है। विगत वर्षों में 7 हजार से अधिक पुल–पुलियों का निर्माण कराया गया हैं। सुगम यातायात हेतु पटना में कई फ्लाई ओवरों एवं एलीवेटेड सड़कों का निर्माण कराया गया है। जे०पी० गंगा पथ के दीघा से पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल तक के भाग को लोगों के लिए शुरू किया गया है, इसे लेकर लोग बहुत उत्साहित हैं और हजारों की संख्या में लोग जे०पी० गंगा पथ को देखने जा रहे हैं। जे०पी० गंगा पथ के शेष भाग पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल से लेकर दीदारगंज तक को दिसम्बर, 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य है। कई जिलों में भी फ्लाई ओवर एवं बाईपास के निर्माण चल रहे हैं। वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान राज्य में अनेक महत्वपूर्ण भवनों का निर्माण कराया गया है, जिसमें बोधगया में महाबोधि सांस्कृतिक केन्द्र, दरभंगा में तारामंडल, पटना में पुनर्निर्मित अंजुमन इस्लामिया हॉल एवं पटना सिटी में स्थित प्रकाश पुंज प्रमुख हैं। अब पथ निर्माण एवं ग्रामीण कार्य विभाग की सड़कों, पुल–पुलियों तथा सरकारी भवनों के मेंटेनेंस का कार्य विभागीय स्तर पर करने की व्यवस्था की जा रही है। इन भवनों में बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम, बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम एवं बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के द्वारा निर्मित भवन भी शामिल हैं।

कृषि, राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है इसलिए राज्य सरकार ने शुरू से ही कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। कृषि के सर्वांगीण विकास के लिए वर्ष 2008 से ही कृषि रोड मैप बनाकर अनेक कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन से धान, गेहूँ, मक्का, सब्जी एवं फल के उत्पादन तथा उत्पादकता में पहले के मुकाबले गुणात्मक वृद्धि हुई है, जिससे किसानों की आय बढ़ी है। साथ ही दूध, अंडा, मांस एवं मछली के उत्पादन में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है। पहले राज्य में मछली का उत्पादन 2 लाख 88 हजार मीट्रिक टन था जो अब बढ़कर 7 लाख 62 हजार मीट्रिक टन हो गया है और जहाँ अन्य राज्यों से मछली मँगानी पड़ती थी, वहीं अब बिहार मछली उत्पादन में लगभग आत्मनिर्भर हो गया है।

वर्तमान में तीसरा कृषि रोड मैप का क्रियान्वयन जारी है इसे मार्च, 2023 तक विस्तारित किया गया है। राज्य सरकार द्वारा चतुर्थ कृषि रोड मैप के सूत्रण का कार्य किया जा रहा है। इस कृषि रोड मैप को तैयार करने में कई स्तरों की बैठकें हो चुकी हैं। हर कृषि रोड मैप की भाँति चतुर्थ कृषि रोड मैप के लिए राज्य के किसानों से सुझाव भी लिये गये। इसके लिए पटना के बापू सभागार में किसान समागम का आयोजन किया गया जिसमें लगभग 5 हजार किसानों ने भाग लिया। अगले वित्तीय वर्ष में चतुर्थ कृषि रोड मैप का क्रियान्वयन शुरू किया जाना है।

राज्य सरकार जैविक खेती को बढ़ावा दे रही है। जैविक खेती के लिए कृषि इनपुट सहायता के साथ–साथ इसके प्रमाणीकरण के लिए बिहार राज्य बीज एवं जैविक प्रमाणीकरण एजेंसी का गठन किया गया है जिसके द्वारा किसानों को निःशुल्क जैविक प्रमाणीकरण की सुविधा दी जा रही है। चतुर्थ कृषि रोड मैप में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए व्यापक योजना बनायी जा रही है। मौसम परिवर्तन को देखते हुए वर्ष 2019 से राज्य के सभी जिलों में "जलवायु के अनुकूल कृषि कार्यक्रम" शुरू किया गया है। वैज्ञानिकों की देखरेख में कृषि विज्ञान केन्द्रों एवं खेतों में प्रत्यक्षण के माध्यम से किसानों को नई तकनीकों, फसल चक्र, जीरो टिलेज खेती आदि के बारे में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अब तक 2 लाख 67 हजार किसानों को प्रशिक्षित किया गया है।

राज्य सरकार ने शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर शुरू से ही विशेष ध्यान दिया है। प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में एक ओर जहाँ पोशाक, साईकिल, छात्रवृत्ति एव अन्य कई योजनाएँ लागू की गईं, वहीं दूसरी ओर विद्यालयों में आधारभूत संरचनाओं को मजबूत किया गया है। बालिका शिक्षा का जनसंख्या के स्थिरीकरण से बिलकुल सीधा संबंध है। इसलिए राज्य की प्रत्येक पंचायत में एक उच्च माध्यमिक विद्यालय खोलने का निर्णय लिया गया है। अब लगभग सभी पंचायतों में उच्च माध्यमिक विद्यालय स्थापित हो गये हैं। नये उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में भवन एवं पर्याप्त वर्ग कक्षों के निर्माण का काम तेजी से कराया जा रहा है। साथ ही इनमें योग्य शिक्षकों की नियुक्ति तेजी से करने का लक्ष्य है।

राज्य में बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं में व्यापक सुधार हुआ है। राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों में आवश्यक दवाई, उपकरण एवं जाँच की सुविधाएँ उपलब्ध हैं। बड़े पैमाने पर आधारभूत संरचनाओं का विकास किया गया है एवं कुशल मानव संसाधन उपलब्ध कराये गये हैं। इस वर्ष भोजपुर जिले के कोईलवर में बिहार मानसिक स्वास्थ्य एवं संबद्ध विज्ञान संस्थान तथा नालन्दा में राजकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल की स्थापना की गई है।

राज्य सरकार ने शुरू से ही वंचित वर्गों के लिए काम किया है। सरकार की रणनीति उन सभी नागरिकों को सशक्त बनाने की रही है, जो तुलनात्मक रूप से वंचित हैं और हाशिए पर हैं। राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़े एवं पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं की शिक्षा, कौशल एवं आर्थिक विकास पर बल देते हुए अनेक कल्याणकारी कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। इन्हें मुख्य धारा में जोड़ने के लिए विशेष योजनाएं चलाई गई हैं।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा अति पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना लागू की गई है, जिसके तहत बिहार लोक सेवा आयोग तथा संघ लोक सेवा आयोग की प्रारम्भिक परीक्षा पास करने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अत्यंत पिछड़ा वर्ग के सभी अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा की तैयारी हेतु क्रमशः 50 हजार रुपये एवं 1 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। अब तक इस योजना के तहत बिहार लोक सेवा आयोग के लिए 8 हजार 912 तथा संघ लोक सेवा आयोग के लिए 256 छात्र एवं छात्राओं ने लाभ लिया है। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के अंतर्गत कमजोर तबके के युवाओं को रोजगार के लिए हर पंचायत में 7 वाहन की खरीद हेतु 1 लाख रुपये प्रति वाहन अनुदान का प्रावधान है, जिसमें 4 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा 3 अति पिछड़ा वर्ग के युवाओं के लिए है। इस योजना के तहत इन वर्गों के 42 हजार 769 युवाओं ने रोजगार हेतु लाभ लिया है।

अल्पसंख्यकों के लिए विद्यार्थी प्रोत्साहन, छात्रवृत्ति, मुफ्त कोचिंग, महिला परित्यक्ता सहायता आदि योजनाओं का सफल संचालन किया जा रहा है। मदरसा सुदृढ़ीकरण योजना एवं अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय योजना भी संचालित है। बिहार राज्य वक्फ विकास योजना के तहत सुन्नी एवं शिया वक्फ बोर्ड की जमीनों पर बहुउद्देशीय भवनों के निर्माण कराए जा रहे हैं।

राज्य सरकार महिला सशक्तीकरण नीति पर काम कर रही है। महिला सशक्तीकरण हेतु सर्वप्रथम पंचायती राज संस्थाओं एवं नगर निकायों के निर्वाचन तथा प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण दिया गया। इसके अतिरिक्त महिला पुलिस थानों की स्थापना, महिला बटालियन का गठन तथा पुलिस सब–इंस्पेक्टर एवं कॉन्सटेबल की नियुक्ति में महिलाओं को 35 प्रतिशत आरक्षण दिया गया। राज्य के सभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था लागू की गई है।

पहले बिहार में स्वयं सहायता समूह काफी कम हुआ करते थे। सरकार ने विश्व बैंक से कर्ज लेकर राज्य में स्वयं सहायता समूह गठन के लिए परियोजना शुरू की जिसका नामकरण "जीविका" किया। जीविका के अंतर्गत अब तक 10 लाख 45 हजार स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है, जिसमें 1 करोड़ 30 लाख से अधिक जीविका दीदियाँ जुड़ चुकी हैं। जीविका दीदियों द्वारा कृषि, पशुपालन, मुर्गीपालन, बकरीपालन, मछलीपालन तथा अन्य स्वरोजगार किया जा रहा है, जिसमें 519 पौधशाला संचालन एवं 477 कस्टम हायरिंग केन्द्रों का संचालन शामिल है। सरकार द्वारा हाल ही में जीविका दीदियों को मछली पालन हेतु 264 तालाबों का आवंटन किया गया है। दीदी की रसोई के माध्यम से 62 अस्पतालों एवं 14 अनुसूचित जाति एवं जनजाति आवासीय विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। इन सब के माध्यम से दीदियों को रोजगार, आमदनी का जरिया एवं बचत को बढ़ावा मिल रहा है, जिससे वे अच्छे से अपने परिवार का जीवन–यापन कर पा रही हैं। इससे अब महिलाओं में जागृति आ रही है और ये

स्वावलंबी बन रही हैं। सरकार जीविका दीदियों के विकास एवं उत्थान के लिए कटिबद्ध है। सरकार ने निर्णय लिया है कि सभी सदर, अनुमंडलीय अस्पताल एवं चिकित्सा महाविद्यालयों, अस्पतालों में मरीजों के लिए वस्त्रों की आपूर्ति, वस्त्रों की धुलाई, अस्पताल भवनों एवं परिसर की साफ–सफाई आदि कार्य जीविका के माध्यम से कराया जायेगा।

गया मोक्ष की भूमि है और हर वर्ष पितृपक्ष मेले का आयोजन किया जाता है जिसमें लाखों लोग अपने पूर्वजों को पिण्डदान करने के लिए यहाँ आते हैं। फल्गू नदी में लोगों के स्नान, तर्पण एवं पिण्डदान हेतु साल भर पानी नहीं रहता है, इसलिए सरकार द्वारा विष्णुपद मंदिर के पास फल्गू नदी में रबर डैम बनाया गया है। इस रबर डैम का नामकरण "गयाजी डैम" किया गया है। इस वर्ष पितृपक्ष मेले में लाखों लोगों ने इसका उपयोग किया है। श्रद्धालु पिण्डदान के दौरान सीताकुण्ड भी जाते हैं, इसलिए उन्हें विष्णुपद मंदिर से सीताकुण्ड जाने के लिए फल्गू नदी के ऊपर "माँ सीता सेतु" का निर्माण कराया गया है।

राज्य सरकार पर्यावरण संरक्षण के प्रति पूरी तरह सजग है। वर्ष 2019 में शुरू किये गये जल–जीवन–हरियाली अभियान के सभी अवयवों पर मिशन मोड में काम हो रहा है। तालाब–पोखर आहर–पईन एवं कुँओं को अतिक्रमण मुक्त करा कर उनका जीर्णोद्धार कराया जा रहा है। सरकार ने निर्णय लिया है कि जल संरचनाओं को अतिक्रमण मुक्त करते समय गरीब एवं गृहविहीन विस्थापित लोगों को रहने की वैकल्पिक व्यवस्था की जायेगी। जल–जीवन–हरियाली अभियान के अंतर्गत गंगा जल आपूर्ति योजना के तहत पेयजल के संकट वाले शहरों गया, बोधगया, राजगीर एवं नवादा में पेयजल उपलब्ध कराने हेतु योजना क्रियान्वित की जा रही है जिसकी कुल लागत लगभग 4 हजार 175 करोड़ रुपये है। इसके तहत 135 लीटर प्रति दिन प्रति व्यक्ति की दर से गंगा जल की आपूर्ति का प्रावधान है। गया, बोधगया एवं राजगीर में पेयजल उपलब्ध करा दिया गया है और नवादा शहर में पेयजल इसी वर्ष उपलब्ध करा दिया जायेगा।

खेलों के क्षेत्र में प्रगति के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा योजनाबद्ध ढंग से कार्रवाई की जा रही है। राज्य सरकार का उद्देश्य है कि कम उम्र के प्रतिभावान खिलाड़ियों की पहचान कर उन्हें सही प्रशिक्षण के माध्यम से राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित करना। इसके परिणाम भी आने शुरू हो गए हैं। बिहार सरकार के निरंतर प्रयासों से, विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में यहां के खिलाड़ियों के द्वारा पदक प्राप्त किया जा रहा है। बिहार सरकार द्वारा राष्ट्रीय खेल दिवस (29 अगस्त 2022) के अवसर पर खिलाड़ियों की पुरस्कार राशि को दोगुणा करते हुए साढ़े छः करोड़ रूपये से अधिक की राशि पुरस्कार के रूप में प्रदान की गई। विद्यालय स्तर पर आयोजित राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं के विभिन्न खेल विधाओं के 2 हजार 200 खिलाड़ियों (पदक विजेताओं) को प्रथम बार इस योजना के अन्तर्गत कुल 1 करोड़ रुपये नगद राशि पुरस्कार के रूप में दी गई। विश्व के सबसे बड़े खेल प्रतिभा खोज NIDJAM 2023 (राष्ट्रीय अन्तर जिला जूनियर एथेलेटिक्स मीट) का आयोजन अत्यंत सफलता पूर्वक किया गया जिसमें देश के लगभग 600 जिलों से 6 हजार खिलाड़ियों ने भाग लिया। इसके माध्यम से बिहार के 63 खिलाड़ी राष्ट्रीय कैम्प के लिए चुने गए हैं।

राज्य सरकार के द्वारा विगत कई वर्षों से उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दी जा रही है। इस व्यवस्था को और बेहतर बनाते हुए राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को सीधे ही उच्चतर समूहों के पदों यथा–बिहार प्रशासनिक सेवा, बिहार पुलिस सेवा आदि के पदों पर भी नियुक्त किया जा सकेगा।

बिहार से झारखण्ड अलग होने के बाद राज्य में हरित आवरण मात्र 9 प्रतिशत रह गया था। इसलिए राज्य में हरित आवरण बढ़ाने के लिए पौधारोपण पर लगातार जोर दिया जा रहा है और अब हरित आवरण बढ़कर लगभग 15 प्रतिशत हो गया है। राज्य की अधिक आबादी एवं कम क्षेत्रफल होने के बावजूद राज्य सरकार प्रयासरत है कि राज्य में हरित आवरण कम–से–कम 17 प्रतिशत हो। राज्य में इको टूरिज्म का विकास किया जा रहा है जिससे पर्यटकों की संख्या बढ़ने लगी है।

राज्य सरकार न्याय के साथ विकास के सिद्धांत पर लगातार चल रही है और इसी सिद्धांत के अगले आयाम के तहत राज्य के सभी वर्गों की बहुमुखी विकास को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जाति आधारित गणना का कार्य करा रही है। सभी माननीय विधायकों द्वारा सर्वसम्मति से पारित किये गये प्रस्तावों को ध्यान में रखते हुये 2 जून, 2022 को राज्य सरकार ने अपने वित्तीय स्रोतों से जाति आधारित गणना करने का निर्णय लिया और इस पर तेजी से अग्रसर भी है। आपको बताते हुये हर्ष है कि राज्य सरकार ने इस कार्यक्रम का प्रथम चरण 21 जनवरी, 2023 को पूर्ण कर लिया है और द्वितीय चरण भी निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार नियत समय में पूर्ण कर लिये जाने का लक्ष्य है। इस हेतु जाति आधारित गणना पोर्टल एवं जाति आधारित गणना एप्प का निर्माण किया गया है। इस गणना के अधीन राज्य की सीमाओं के अंदर एवं सीमाओं के बाहर रहने वाले सभी बिहार वासियों के जातिगत, आर्थिक, शैक्षणिक एवं प्रवासीय स्थिति का पूर्ण सर्वेक्षण किया जायेगा, जिसके आधार पर बनाये जाने वाली योजनाएं सभी धर्मों एवं जाति, वर्गों के बिहार वासियों के लिए विकास के नये आयाम खोलेगा। जाति आधारित गणना के प्रथम चरण में जिस प्रकार से आप माननीय सदस्यगणों का एवं बिहार की जनता का सहयोग मिला है उसके लिये राज्य सरकार धन्यवाद व्यक्त करती है। आशा है कि दूसरे चरण में भी आप सभी का पूर्ण सहयोग प्राप्त होता रहेगा।

मेरे द्वारा आपके समक्ष रखी गयी सरकार की उपलब्धियों एवं कार्यक्रमों से स्पष्ट है कि सरकार न्याय के साथ विकास के मूल मंत्र को ध्यान में रखते हुए राज्य के सभी क्षेत्रों एवं सभी वर्गों के उत्थान के लिए सतत् प्रयत्नशील है। मुझे विश्वास है कि वर्तमान सत्र में वित्तीय एवं विधायी कार्यों के साथ–साथ राज्य के सर्वांगीण विकास के मुद्दों पर सार्थक चर्चा होगी जो राज्य के विकास में सहायक होगा। मुझे भरोसा है कि सभी सदस्य जिम्मेवारी के साथ सत्र के संचालन में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। मुझे धैर्य एवं ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद।

।। जय हिन्द ।।

बि0स0मु0 (संसदीय), 2–मो0जी0–800 + 10

सभा सचिव: महामहिम राज्यपाल महोदय का अभिभाषण समाप्त हुआ ।

(राष्ट्रधुन)

(इस अवसर पर महामहिम राज्यपाल महोदय को विदा करने माननीय अध्यक्ष महोदय गये)

टर्न-2/अंजली/27.02.2023

(महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की समाप्ति के पश्चात् पुन: सभा वेश्म में कार्यवाही प्रारंभ)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के पश्चात् सभा की कार्यवाही फिर से प्रारंभ की जाती है ।

अध्यासी सदस्यों का मनोनयन

माननीय सदस्यगण, बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-12 (1) के अधीन मैं निम्न सदस्यों को सप्तदश बिहार विधान सभा के अष्टम सत्र के लिए अध्यासी सदस्य मनोनीत करता हूँ :

1. श्री प्रेम कुमार, स0वि0स0
2. श्री नरेन्द्र नारायण यादव, स0वि0स0
3. श्री विजय शंकर दूबे, स0वि0स0
4. श्री भूदेव चौधरी, स0वि0स0
5. श्रीमती ज्योति देवी, स0वि0स0

कार्यमंत्रणा समिति का गठन

माननीय सदस्यगण, बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-219 (1) के अधीन मैं सप्तदश बिहार विधान सभा के अष्टम सत्र के लिए कार्यमंत्रणा समिति का गठन निम्न प्रकार करता हूँ :

1. अध्यक्ष, बिहार विधान सभा	सभापति
2. श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री	सदस्य
3. श्री महेश्वर हजारी,उपाध्यक्ष, बिहार विधान सभा	सदस्य

4. श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, उप मुख्यमंत्री — सदस्य
5. श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री, संसदीय कार्य — सदस्य
6. श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री, ऊर्जा — सदस्य
7. श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता, विरोधी दल — सदस्य
8. श्री अजीत शर्मा, स0वि0स0 — सदस्य

<u>विशेष आमंत्रित सदस्य</u>

1. श्री अलोक कुमार मेहता, मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ।
2. श्री जीतन राम मांझी, स0वि0स0
3. श्री तारकिशोर प्रसाद, स0वि0स0
4. श्री महबूब आलम, स0वि0स0
5. श्री अजय कुमार, स0वि0स0
6. श्री सूर्यकांत पासवान, स0वि0स0

नियमानुसार अध्यक्ष इस समिति के सभापति तथा सभा सचिव इसके सचिव होंगे ।

<u>औपचारिक कार्य</u>

अध्यक्ष : सभा सचिव ।

सभा सचिव : महोदय, सप्तदश बिहार विधान सभा के सप्तम् सत्र में उद्भूत तथा बिहार विधान मंडल के दोनों सदनों द्वारा यथा पारित निम्न 06 (छह) विधेयकों का विवरण सदन पटल पर रखता हूं जिस पर महामहिम राज्यपाल द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद-200 के तहत अनुमति प्रदान की गई है :

क्रमांक	विधेयक का नाम	अनुमति की तिथि
1.	बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2022	27.12.2022
2.	बिहार लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 2022	27.12.2022
3.	बिहार विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2022	29.12.2022
4.	बिहार नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2022	08.01.2023
5.	बिहार तकनीकी सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2022	08.01.2023
6.	बिहार विनियोग अधिकाई व्यय (1989-90) विधेयक,2022	08.01.2023

<u>आर्थिक सर्वेक्षण का प्रस्तुतीकरण</u>

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम-2006 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 के आर्थिक सर्वेक्षण की प्रति सभा मेज पर रखता हूं ।

<u>शोक प्रकाश</u>

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, कतिपय जननायकों के निधन की सूचना मिली है, जिनके बारे में शोक प्रकट करना हमारा कर्तव्य है :

<u>स्वर्गीय डॉ0 दाउद अली</u>

बिहार विधान सभा के पूर्व सदस्य डॉ0 दाउद अली का निधन दिनांक 06 जनवरी, 2023 को हो गया । निधन के समय उनकी आयु लगभग 63 वर्ष की थी।

स्वर्गीय अली बक्सर जिला के डुमरांव विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 2010 में बिहार विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे । वे लोकप्रिय होम्योपैथिक चिकित्सक के साथ-साथ मिलनसार एवं मृदुभाषी व्यक्ति भी थे । हम उनके निधन से दु:खी हैं ।

ईश्वर दिवंगत आत्मा को शान्ति एवं शोक संतप्त परिवार को दु:ख सहन करने की शक्ति प्रदान करें ।

<u>स्वर्गीय हेमेन्द्र प्रताप</u>

बिहार विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री हेमेन्द्र प्रताप का निधन दिनांक 07 जनवरी, 2023 को हो गया । निधन के समय उनकी आयु लगभग 90 वर्ष की थी ।

स्वर्गीय प्रताप गढ़वा जिला के भवनाथपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 1969 में बिहार विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे । वे मिलनसार एवं मृदुभाषी व्यक्ति थे । हम उनके निधन से दुःखी हैं ।

ईश्वर दिवंगत आत्मा को शान्ति एवं शोक संतप्त परिवार को दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करें ।

स्वर्गीय केशरी नाथ त्रिपाठी

बिहार के पूर्व राज्यपाल श्री केशरी नाथ त्रिपाठी का निधन दिनांक 08 जनवरी, 2023 को हो गया । निधन के समय उनकी आयु लगभग 89 वर्ष की थी ।

स्वर्गीय त्रिपाठी नवंबर, 2014 से अगस्त, 2015 तक एवं जून, 2017 से अक्टूबर, 2017 तक बिहार के राज्यपाल रहे थे । वे उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष भी रहे और कुल छः बार उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। उन्हें विधि और न्याय कार्य में विशेष अभिरूचि थी । वे एक कुशल राजनीतिज्ञ के साथ-साथ मृदुभाषी एवं मिलनसार व्यक्ति भी थे । हम उनके निधन से दुःखी हैं ।

ईश्वर दिवंगत आत्मा को शान्ति एवं शोक संतप्त परिवार को दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करें ।

स्वर्गीय शरद यादव

पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं लोकसभा तथा राज्यसभा के पूर्व सदस्य श्री शरद यादव का निधन दिनांक 12 जनवरी, 2023 को हो गया । निधन के समय उनकी आयु लगभग 76 वर्ष की थी ।

स्वर्गीय यादव मधेपुरा लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 1991, 1996, 1999 और 2009 में लोक सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे । वे वर्ष 2004, 2014 एवं 2016 में राज्यसभा के भी सदस्य रहे । वे समाजवादी विचारधारा के साथ-साथ एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं मिलनसार व्यक्ति थे । हम उनके निधन से दुःखी हैं ।

ईश्वर दिवंगत आत्मा को शान्ति एवं शोक संतप्त परिवार को दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करें ।

स्वर्गीय डॉक्टर रामकृपाल सिन्हा

बिहार विधान परिषद के पूर्व सदस्य एवं बिहार तथा केंद्र सरकार के पूर्व मंत्री डॉक्टर रामकृपाल सिन्हा का निधन दिनांक 15 जनवरी, 2023 को हो गया । निधन के समय उनकी आयु लगभग 89 वर्ष की थी ।

स्वर्गीय सिन्हा वर्ष 1968 में विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से बिहार विधान परिषद के सदस्य निर्वाचित हुए थे । वे वर्ष 1974 में राज्यसभा के सदस्य बने तथा बिहार सरकार एवं केंद्र सरकार में मंत्री भी रहे थे । वे समाजवादी विचारधारा के व्यक्ति थे । हम उनके निधन से दुःखी हैं ।

ईश्वर दिवंगत आत्मा को शान्ति एवं शोक संतप्त परिवार को दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करें ।

स्वर्गीय हरिशंकर प्रसाद यादव

बिहार विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री हरिशंकर प्रसाद यादव का निधन दिनांक 21 जनवरी, 2023 को हो गया । निधन के समय उनकी आयु लगभग 75 वर्ष की थी ।

स्वर्गीय यादव पूर्वी चंपारण जिला के आदापुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 1985 में बिहार विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे । वे मिलनसार एवं मृदुभाषी व्यक्ति थे । हम उनके निधन से दुःखी हैं ।

ईश्वर दिवंगत आत्मा को शान्ति एवं शोक संतप्त परिवार को दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करें ।

स्वर्गीय प्रोफेसर सिद्धेश्वर प्रसाद

लोकसभा एवं बिहार विधान परिषद के पूर्व सदस्य प्रोफेसर सिद्धेश्वर प्रसाद का निधन दिनांक 22 जनवरी, 2023 को हो गया । निधन के समय उनकी आयु लगभग 94 वर्ष की थी ।

स्वर्गीय प्रसाद वर्ष 1962, 1967 एवं 1971 में नालंदा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे । वे वर्ष 1985 में बिहार विधान परिषद

के मनोनीत सदस्य बने एवं बिहार सरकार में मंत्री भी रहे थे । साहित्य एवं लेखन में उनकी विशेष अभिरूचि थी । हम उनके निधन से दु:खी हैं ।

ईश्वर दिवंगत आत्मा को शान्ति एवं शोक संतप्त परिवार को दु:ख सहन करने की शक्ति प्रदान करें ।

स्वर्गीय संजीव कुमार झा

बिहार विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री संजीव कुमार झा का निधन दिनांक 09 फरवरी, 2023 को हो गया । निधन के समय उनकी आयु लगभग 53 वर्ष की थी।

स्वर्गीय झा सहरसा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से मार्च, 2005 एवं नवंबर, 2005 में बिहार विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे । वे मिलनसार एवं मृदुभाषी व्यक्ति थे । हम उनके निधन से दु:खी हैं ।

ईश्वर दिवंगत आत्मा को शान्ति एवं शोक संतप्त परिवार को दु:ख सहन करने की शक्ति प्रदान करें ।

अध्यक्ष : अब हमलोग एक मिनट तक मौन खड़े होकर सभी दिवंगत आत्माओं की शान्ति के लिए प्रार्थना करें ।

(एक मिनट का मौन)

मैं अपनी तथा सम्पूर्ण सदन की ओर से शोक संतप्त परिवार के पास संदेश भिजवा दूंगा ।

अब सभा की बैठक, मंगलवार दिनांक-28 फरवरी, 2023 को 11:00 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है ।